भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4205

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा बीमा कवरेज

4205. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या को चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;
(ख) कुल चिकित्सा व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर व्यक्तियों द्वारा अपनी जेब से किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को व्यापक बनाने के लिए कोई लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक प्रमुख योजना है जिसके अंतर्गत भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में आने वाले लगभग 12.37 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

इस योजना को लागू करने वाले कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी संबंधित राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एबी-पीएमजेएवाई के साथ मिला दिया है, जिससे सरकार द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा बीमा के तहत आने वाली आबादी में 18 करोड़ से अधिक परिवार शामिल हो गए हैं।

मार्च, 2024 में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 29.10.2024 को भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार

किया। देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है जो इस योजना के तहत आने वाले व्यक्ति 6 करोड़ व्यक्तियों के सादृश्य है।

(ख): दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, एबी-पीएमजेएवाई के तहत लगभग 36 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 8.39 करोड़ अस्पताल दाखिले अधिकृत किए गए हैं। पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार की लागत, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और पूर्व-निर्धारित बंडल पैकेज दर की अवधारणा से लाभान्वित होती है। तदनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि यदि लाभार्थियों द्वारा खुले बाजार में इन उपचारों का लाभ उठाया गया होता, तो उन्होंने पीएमजेएवाई के तहत अस्पताल में भर्ती लागत से कम से कम 1.5-2 गुना अधिक खर्च किया होता। इस प्रकार, अस्पताल में भर्ती होने की लागत से संबंधित लाभार्थियों के लिए जेबी खर्च (ओओपीई) में महत्वपूर्ण बचत हुई है।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में राज्य सरकार का समर्थन करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से जनसंख्या के गरीब और असुरक्षित वर्गों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, सभी के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के संवर्धनात्मक, निवारक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास पहलुओं को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता है, जिसका लक्ष्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान करना है, जिसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-संचारी रोगों के साथ-साथ निःशुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं शामिल हैं।

*****